संख्या 1985/62-2-2010-2/2(47)/08टी.सी.

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मण्डलायुक्त,
झाँसी/चित्रकूट धाम मण्डल।

2- जिलाधिकारी,
झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बाँदा,
महोबा एवं चित्रकूट उ0प्र0।

3- अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त,
झाँसी।

4- अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,
झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बाँदा।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-2 लखनऊ दिनाँक 13 मई 2010

विषयः- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1973/62-2-2010-2/2(47)/08टी.सी. दिनाँक 11.05.2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यो के जनपदवार/वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रेषित किये गये है। इसके क्रम में विभिन्न कार्यो के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार निर्गत किये जा रहे है:-

(अ) नये डग/ब्लास्ट वेल का निर्माण, डगवेल रिचार्ज तथा डग/ब्लास्टकूपों को गहरा करना।

(i) लाभार्थी चयन

विकासखण्ड के अन्तर्गत वाटरशेड एप्रोच के आधार पर कृषकों का चयन किया जायेगा। चयन हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी :-

1- लघु एवं सीमान्त कृषकों का चयन किया जायेगा। वरीयता उन गरीबी रेखा के नीचे वाले (बी.पी.एल.) लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को दी जायेगी जिनके नाम ग्राम के आर्थिक रजिस्टर में अंकित हों।

2- पात्रता का आधार 61(ख) होगा। यदि एक ही पिता के कई पुत्र है और उन सभी के नाम 61(ख) में दर्ज है तो कुल भूमि को बराबर बराबर भागों में बॉट कर कृषक की पात्रता निर्धारित की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी कृषक के तीन पुत्र

है जिनके नाम 61(ख) मे दर्ज है और 61 (ख) में कुल भूमि 9 एकड़ दर्ज हो तो 3–3 एकड़ के आधार पर पात्रता निर्धारित की जायेगी।

3– चयनित कृषक एक ही परिवार के नहीं होंगे।

4– अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

5– कृषकों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाकर किया जायेगा तथा प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्वान्त पर उन्हे लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए चयनित कृषक अपना प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई को उपलब्ध करायेगें। सहायक अभियन्ता,लघु सिचांई द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों को तिथिवार एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा और उसी के अनुसार प्रथम आवत प्रथम पावत का सिद्वान्त अपनाते हुए लक्ष्यों की सीमा तक कार्य कराये जायेगें। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम/विकासखण्ड/जनपद स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी तथा कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

6– उन्हीं कृषकों का चयन किया जायेगा जो कृषि कार्य से जुड़े हों।

7– डगवेल रिचार्ज के मामले में ऐसे कूप जिनसे रिचार्ज किये जाने में बाधा हो, उनका चयन नहीं किया जायेगा। विवाद की दशा में जनपदीय सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के समकक्षीय अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ii) लागत

1– नये डगवेल का निर्माण शत–प्रतिशत शासकीय व्यय पर किया जायेगा। कूप का व्यास 4 मीटर तथा गहराई 15 मीटर रखी जायेगी, जिसकी औसत लागत रू0 2.83 लाख है। कार्य से सम्बन्धित माडल एस्टीमेंट डिजाइन ड्राइग इत्यादि नमूने के तौर पर मुख्य अभियन्ता द्वारा परिचालित किये जायेगें तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों की सीमा तक एस्टीमेट स्वीकृति कर कार्य करायें जायेगें।

2– कूपों के गहरे करने का कार्य शत–प्रतिशत शासकीय व्यय पर किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत 4 मीटर व्यास के कूप की गहराई 10 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर तक की जायेगी तथा इसकी औसत लागत रू0 0.83 लाख होगी। कार्य से सम्बन्धित माडल एस्टीमेंट डिजाइन ड्राइग इत्यादि नामूने के तौर पर मुख्य अभियन्ता द्वारा परिचालित किये जायेगें तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों की सीमा तक एस्टीमेट स्वीकृति कर कार्य करायें जायेगें।

3– डगवेल रिचार्ज का कार्य उन्ही कूपों में किया जायेगा जिन कूपों का डीपनिंग करा ली गयी है तथा यह कार्य शत–प्रतिशत शासकीय व्यय पर कराया जायेगा जिसकी औसत लागत रू0 0.162 लाख होगी। कार्य से सम्बन्धित माडल एस्टीमेंट डिजाइन ड्राइग इत्यादि नमूने के तौर पर मुख्य अभियन्ता द्वारा परिचालित किये जायेगें तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों की सीमा तक एस्टीमेट स्वीकृति कर कार्य करायें जायेगें।

(iii) लक्ष्यों के सापेक्ष मनरेगा से प्राप्त होने वाली धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव जनपद स्तर पर तैयार कराकर शीर्ष प्राथमिकता पर स्वीकृत करा लिया जाय। मनरेगा की गाइड लाइन्स के अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा दिनॉक 31 मई,

2010 तक प्रस्ताव तैयार कराकर सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाए और सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा दिनॉक 15 जून,2010 तक इसकी स्वीकृति निर्गत कर दी जाए। यह समस्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनॉक 30 जून,2010 से पहले निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय।

(iv) निगरानी

उपर्युक्त तीनों कार्यो में प्रदान किये जा रहे अनुदान के समुचित उपयोग की निगरानी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम स्तर पर एवं जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा।

(ब) एच0डी0पी0 पाइप सिस्टम का वितरण

(i) लाभार्थी चयन

1– केवल विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना तथा गहरी बोरिंग योजना के अन्तर्गत निर्मित निजी नलकूपों के लाभार्थियों को ही एच0डी0पी0ई0 पाइप सिस्टम का वितरण किया जायेगा। विभाग द्वारा संचालित मध्यम गहरे नलकूपों की योजना में नाली निर्माण/पाइप हेतु पूर्व से ही व्यवस्था है, इसलिए मध्यम गहरे नलकूपों की योजना के लाभार्थियों को इस हेतु चयनित नहीं किया जायेगा।

2– लघु एवं सीमान्त कृषकों के मामले में पात्रता का आधार 61(ख) होगा यदि एक ही पिता के कई पुत्र है और उन सभी के नाम 61(ख) में दर्ज है तो कुल भूमि को बराबर बराबर भागों में बॉट कर कृषक की पात्रता निर्धारित की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी कृषक के तीन पुत्र है जिनके नाम 61(ख) में दर्ज है और 61 (ख) में कुल भूमि 9 एकड़ दर्ज हो तो 3–3 एकड़ के आधार पर पात्रता निर्धारित की जायेगी।

3– चयनित कृषक एक ही परिवार के नहीं होंगे।

4– अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

5– कृषकों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाकर किया जायेगा तथा प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्वान्त पर उन्हे लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए चयनित कृषक अपना प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध करायेगें। सहायक अभियन्ता,लघु सिचांई द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों को तिथिवार एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा और उसी के अनुसार प्रथम आवत प्रथम पावत का सिद्वान्त अपनाते हुए लक्ष्यों की सीमा तक कार्य कराये जायेगें। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम/विकासखण्ड/जनपद स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी तथा कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

6– उन्हीं कृषकों का चयन किया जायेगा जो कृषि कार्य से जुड़े हों।

7– अनुसूचितजाति/जनजाति तथा लघु एव सीमान्त कृषकों से भिन्न अन्य श्रेणी के कृषकों से 25 प्रतिशत जमा कराकर सिस्टम उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii)– अनुदान

110एम0एम0 व्यास तथा 180 मीटर लम्बे एक एच0डी0पी0 पाइप सिस्टम जिसमें एक बैण्ड,एक टी, एक पम्प कनेक्टिंग निपिल एवं एक एण्ड प्लग भी होगा, की औसत लागत रू0 30,000/– मानते हुए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा संचालित स्प्रिंकलर

योजना के भाँति अनुसूचितजाति /जनजाति तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को शत–प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। अन्य श्रेणी के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

(iii)– उक्त योजना के सम्बन्ध में लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी/स्थल चयन का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर दिनॉक 30 जून, 2010 से पहले निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय। ताकि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति समय से सुनिश्चित की जा सकें।

(iv) –<u>निगरानी</u>

योजना के अन्तर्गत प्रदान किये जा रहे अनुदान के समुचित उपयोग की निगरानी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम स्तर पर एवं जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा।

भवदीय

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या– 1985 (1)/62–2–2010 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, नियोजन उ0प्र0 शासन को उनके अ0शा0 पत्र सं0–17(2)/35–आ–1/2008–19 दिनांक 05.05.2010 के कम में सूचनार्थ।

2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्वीकृति करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

3– मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ की उक्त कार्यो की सघन समीक्षा करें और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराये। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यो से सम्बन्धित माडल एस्टीमेट, डिजाइन ड्रांइग इत्यादि सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दें।

4– स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

5– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव

Bundelkhand-4